

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

20 जुलाई 2018

2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 6 - संघ सरकार (राष्ट्रीय परियोजनाओं) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 6 – संघ सरकार (राष्ट्रीय परियोजनाओं), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में आज प्रस्तुत किया गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की इस रिपोर्ट में 2008-17 की अवधि के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं के निष्पादन लेखापरीक्षा की टिप्पणियां शामिल हैं।

फरवरी 2008में भारत सरकार ने राष्ट्रीय परियोजनाओं की एक योजना को मंजूरी दी जिसके तहत उसने 16 प्रमुख जल संसाधन विकास एवं सिंचाई परियोजनाओं की पहचानकी जो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत थे, लेकिन वे भूमि अधिग्रहण, अंतर-राज्य समन्वय, वित्तीय बाधाओं एवं प्रभावित आबादी के पुनर्वास और स्थानांतरण से संबंधित मुद्दों सहित कई बाधाओं एवं अवरोधों के कारण शिथिल पड़ रहे थे। योजनाओं के खराब कार्यान्वयन कार्यनीतिक राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे थे। इस योजना का मूल उद्देश्य उनके निष्पादन में तेजी लाने के लिए समन्वित और सकेन्द्रित कार्य सुनिश्चित करना और उनका शीघ्र समापन सुनिश्चित करना था। इस योजना के एक निष्पादन लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि यह मौलिक उद्देश्य मार्च 2017 तक पांच परियोजनाओं पर ₹13,299.12 करोड़ का व्यय करने के बावजूद प्राप्त नहीं किए गए। योजना के मुख्य तथ्य एवं मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

मुख्य तथ्य	
राष्ट्रीय परियोजनाओं की संख्या	16
कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाएं	5

कार्यान्वयन के अंतर्गत पांच परियोजनाओं की शुरुआत	1975-1983
पांच परियोजनाओं का मूल लागत अनुमान	₹ 3,530 करोड़
पांच परियोजनाओं का वर्तमान लागत अनुमान	₹ 86,172.23 करोड़
पांच परियोजनाओं पर किए गए व्यय	₹ 13,299.12 करोड़
पांच परियोजनाओं से परिकल्पित सिंचाई क्षमता	25.10 लाख हेक्टेयर
पांच परियोजनाओं से परिकल्पित बिजली उत्पादन	1,236.50 मेगा वाट
पांच परियोजनाओं से परिकल्पित जलाशय क्षमता का निर्माण	5.412 मिलियन एकड़ फीट
पांच परियोजनाओं से परिकल्पित पेयजल	672.585 मिलियन क्यूबिक मीटर
मुख्य निष्कर्ष	
पांच परियोजनाओं के भौतिक प्रगति में कमी	8 से 99 प्रतिशत
पांच परियोजनाओं के लागत में वृद्धि	2,341 प्रतिशत
पांच परियोजनाओं से उपयोग की गई सिंचाई क्षमता	5.36 लाख हेक्टेयर (21 प्रतिशत)
राष्ट्रीय परियोजनाओं से बिजली उत्पादन	शून्य
राष्ट्रीय परियोजनाओं से जलाशय क्षमता का निर्माण	0.53 मिलियन एकड़ फीट
राष्ट्रीय परियोजनाओं से पीने का पानी	शून्य
अपर्याप्त सर्वेक्षण कार्य और परिणामस्वरूप विलंब के कारण अतिरिक्त लागत	₹903.67 करोड़
अपर्याप्त पुनर्वास और स्थानांतरण के उपायों के कारण अतिरिक्त लागत	₹1,414.26 करोड़
खराब संविदा प्रबंधन के वित्तीय निहितार्थ	₹328.83 करोड़

16 राष्ट्रीय परियोजनाओं में से, ₹25.10 लाख हेक्टेयर के अनुमानित सिंचाई क्षमता वाले केवल पांच परियोजनाओं में कार्यान्वयन जारी था। इन पांच परियोजनाओं में 14.53 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है लेकिन केवल 5.36 लाख हेक्टेयर

(37 प्रतिशत) सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। 10.48 लाख हेक्टेयर के अनुमानित सिंचाई क्षमता वाले शेष 11 परियोजनाएं अभी भी शुरू की जानी हैं एवं वे स्वीकृति के विभिन्न चरणों में हैं। गोसीखुर्द परियोजना में 0.53 मिलियन एकड़ फीट के भंडारण के सृजन के अलावा, कार्यान्वयन के तहत पांच परियोजनाएं उस चरण तक नहीं पहुंच पाई हैं, जहां बिजली उत्पादन, पेयजल और जलाशय निर्माण का लाभ दिया जा सकता है।

परियोजनाओं के निष्पादन में प्रशासकीय विलंब, कोडल प्रावधानों और इस तरह के कार्यों के निष्पादन के लिए प्रासंगिक कार्य मैनुअल में निर्धारित नियमों के गैर-अनुपालन, खराब संविदा प्रबंधन एवं प्रभावी व ससमय निगरानी की कमी चिन्हित किए गए थे। पांच परियोजनाओं की लागत में वृद्धि उनके इस योजना में समावेशन के पूर्व ₹32,802 करोड़ थी। हालांकि, राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में शामिल होने के बाद से, इंदिरा सागर पोलावरम परियोजना और गोसीखुर्द परियोजना नामक दो परियोजनाओं ने अकेले ही पिछले वृद्धि के मुकाबले ₹49,840 करोड़ की लागत वृद्धि दर्ज की है। शेष तीन परियोजनाएं पहले ही अपना स्वीकृत समापन समय पार कर चुकी हैं और उनमें से कोई भी समाप्ति की ओर नहीं है।

परियोजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति के संदर्भ में 2,341 प्रतिशत की कुल लागत वृद्धि सहित कार्यान्वयन के अंतर्गत पांच परियोजनाओं में आठ से 99 प्रतिशत तक की कमी ने परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता को संकट में डाल दिया था। सुस्त कार्यान्वयन एवं लागत में वृद्धि के लिए प्रबंधन की विफलताओं तथा सर्वेक्षण और जांच, जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, परियोजना स्थलों के लिए सांविधिक मंजूरी सुनिश्चित करने और भूमि अधिग्रहण में प्रशासनिक विलंब के लिए आवश्यक घटक है, से संबंधित कोडल प्रावधानों का गैर-अनुपालन के संदर्भ में कमियों को उत्तरदायी ठहराया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹903.67 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई। इसमें निष्फल पुनर्वास और स्थानांतरण उपायों द्वारा वृद्धि हुई जिससे परियोजनाओं की प्रगति में और बाधा आई। इसका परिणाम समझौतों में संशोधन के कारण ₹1,331.91 करोड़ और मुआवजे के विलंबित भुगतान से उत्पन्न ब्याज के भुगतान के कारण ₹82.35 करोड़ का अतिरिक्त लागत के रूप में हुआ।

प्रस्तावों को संसाधित करने में अनुचित देरी, सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में देरी, कोडल प्रावधानों और नियमों का गैर-अनुपालन और खराब संविदा प्रबंधन तथा प्रवर्तन ने भी लागत में वृद्धियों और निष्पादन की देरी में योगदान दिया। संविदा शर्तों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने तथा प्रवर्तन करने में परियोजना प्राधिकारियों की विफलता के कारण व्यतिक्रमित संवेदकों से ₹ 32.16 करोड़ की गैर-वसूली के साथ-साथ लागत में ₹ 224.54 करोड़ की वृद्धि हुई। विभागीय प्राधिकारियों ने तात्कालिक आधार पर या कामकाज में तेजी लाने के लिए समझौते की शर्तों के अतिरिक्त ठेकेदारों को ₹ 72.13 करोड़ की रकम जारी की। इसके अलावा, कोडल प्रावधानों और निविदा/समझौते की शर्तों में विचलन ने, ठेकेदारों के चयन, कार्यों को सौंपने और उनके निष्पादन की प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता में कोई आश्वासन प्रदान नहीं किया।

कार्यान्वयन के तहत पांच परियोजनाओं में से किसी में भी कमांड एरिया विकास कार्यों के लिए कोई प्रस्ताव मंजूरी (मार्च 2017) हेतु केंद्रीय जल आयोग को नहीं भेजा गया है। वित्तिकाओं के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे कमांड एरिया विकास कार्यों के समान स्तर कार्यान्वयन की अनुपस्थिति में सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जाएगा, भले ही परियोजनाएं पूरी हो जाएं।

अंततः, सृजित ढांचे में पड़ी दरारों एवं क्षति से निपटने के लिए पर्याप्त व प्रभावी निगरानी तथा समय पर कार्रवाई के अभाव में दोनों कार्यों की धीमी प्रगति के साथ-साथ पहले से निर्मित परिसंपत्तियों के अपर्याप्त अनुरक्षण में योगदान दिया।